



Neutral Citation No - 2026:AHC:29025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2025 की 19799

अमित कुमार सोनकर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।

2. 22.01.2026 को इस न्यायालय ने अनुदेश तलब किए थे। उसके अनुसरण में, उपायुक्त (श्रम रोजगार), जिला फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेश दिनांकित 04.02.2026 प्रस्तुत किए गए हैं और अभिलेख पर लिए गए हैं।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि उन्हें अनुदेशों की पूर्ण जानकारी प्राप्त है और अनुदेश रिट याचिका के निस्तारण हेतु स्वतः पर्याप्त हैं, वे कोई और शपथ-पत्र दाखिल करने का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रस्ताव नहीं करते तथा याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए, अतः पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका प्रारंभिक चरण पर ही निर्णीत की जा रही है।

4. याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि 04.01.2008 को उन्हें खण्ड-खजुहा में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया था। 24.08.2022 को आई.जी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में एक शिकायत दर्ज की गई। तत्पश्चात् आयुक्त, ग्राम्य विकास, लखनऊ ने आयुक्त, प्रयागराज को जाँच संस्थित करने हेतु निर्देशित किया और 07.10.2022 को एक जाँच आख्या प्रस्तुत की गई।

5. याचिकाकर्ता का अभिवचन है कि उक्त जाँच एकपक्षीय रूप से संचालित की गई थी। तत्पश्चात्, संसूचन दिनांकित 30.12.2023 तथा संयुक्त निदेशक, कार्यालय आयुक्त, प्रयागराज द्वारा जारी किये गए अग्रिम निर्देश दिनांकित 01.09.2025 द्वारा, उपायुक्त मनरेगा, फतेहपुर को याचिकाकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली हेतु अग्रसर होने के लिए निर्देशित किया गया।

6. 15.09.2025 को उपायुक्त, श्रम रोजगार, फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित एक कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया जिसमें याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गई कि उनके विरुद्ध वसूली क्यों न की जाए। उसके उत्तर में, याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दिनांकित 25.09.2025 प्रस्तुत करते हुए जाँच आख्या के उन संलग्नकों की आपूर्ति की याचना की जो कारण बताओ नोटिस के साथ प्रेषित किए गए थे, क्योंकि उन दस्तावेजों के अभाव में वे प्रभावी प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे।

7. तथापि, आदेश दिनांकित 15.11.2025 द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर ने अनुरोध-पत्र दिनांकित 25.09.2025 पर ध्यान दिए बिना याचिकाकर्ता का पक्ष अस्वीकार करते हुए वसूली आदेश पारित किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि जब प्रस्तावित कार्रवाई का आधार बनने वाले दस्तावेज आपूर्त नहीं किए गए, तो कारण बताओ नोटिस का निर्गमन एक रीती औपचारिकता मात्र रह गया। यह तर्क दिया गया है कि सुसंगत दस्तावेज न देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

9. अनुदेशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि पत्र दिनांकित 25.09.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज माँगे गए थे, यद्यपि यह तर्क देने का प्रयास किया गया है कि याचिकाकर्ता को दस्तावेज का ज्ञान था।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख के पारिशिलन के पश्चात्, यह न्यायालय यह पाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित वसूली का आधार बनने वाले दस्तावेजों की आपूर्ति हेतु विशिष्ट अनुरोध किए जाने पर उस पर विचार किया जाना चाहिए था और सुसंगत दस्तावेज आपूर्त किए जाने चाहिए थे, जब तक कि वे ग्रापजीय अथवा विशेषाधिकार-प्राप्त दस्तावेज न हों। आक्षेपित आदेश दिनांकित 15.11.2025 में याचिकाकर्ता के अनुरोध दिनांकित 25.09.2025 पर किसी विचार का परिलक्षण नहीं होता।

11. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित रीति से निर्णीत की जा रही है:-

A. मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.11.2025 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर अपास्त किया जाता है।

B. रिट याचिकाकर्ता फरवरी 2026 के चतुर्थ सप्ताह में मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर के समक्ष उपस्थित होंगे।

C. संबंधित प्राधिकारी 02.03.2026 तक याचिकाकर्ता को जाँच आख्या में अवलंबित सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



D. याचिकाकर्ता मार्च 2026 के चतुर्थ सप्ताह तक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करेंगे।

E. तत्पश्चात् 30.04.2026 तक विधि के अनुसार एक युक्तिपूर्ण एवं सकारण आदेश पारित किया जाएगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करेंगे और अनावश्यक स्थगन की याचना नहीं करेंगे।

13. आज पारित किए गए आदेश का यह मंतव्य नहीं लिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर कोई विचार व्यक्त किया है। आक्षेपित आदेश केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर अपास्त किया गया है।

14. अनुदेश दिनांकित 04.02.2026 को परिशिष्ट-'A' के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

10 फरवरी, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"